

विवरणिका

PROSPECTUS

2022-2023




Our Goal and Mantra
Quality Education and Personality Development

डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

NAAC Accredited 'B'

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध
दूरभाष नं. 0154-2440056
Email ID- gcsgr1946@gmail.com
संरक्षक एवं कार्यवाहक प्राचार्य
श्री बलवन्त सिंह रतन





प्राचार्य संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

नये शैक्षणिक सत्र 2022–23 में महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा केवल आजीविका का आधार नहीं, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास द्वारा सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय पहचान को गतिशील करने का सूत्र है। महाविद्यालयी शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के संचालन के पीछे हमारा यही उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थियों में निहित सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हुए वैचारिक परिपक्वता, तर्कशक्ति एवं ज्ञान के परिष्कार द्वारा प्रासंगिक नवाचारों को विकसित किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थीर्गण महाविद्यालय में संचालित कार्यक्रमों में निष्ठापूर्वक भाग लेकर निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों से समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रत्न
प्राचार्य

क्र.सं.	विषय
	प्राचार्य उद्बोधन
1.	अनुक्रमणिका
2.	पृष्ठभूमि
3.	ऑन लाईन एडमिशन प्रोसेस (OAP)
4.	विशेष आरक्षण, रियायतें एवं लाभ
5.	आचार संहिता
6.	शोध सुविधाएँ
7.	पाठ्यक्रम सुविधाएँ
8.	शैक्षणिक सूचनाएँ (अ) प्रवेश नियमावली (ब) विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश नियमावली (स) उपरिथिति की अनिवार्यता
9.	महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ
10.	प्रांगण गतिविधियाँ (क) खेलकूद (ख) युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ (YSAC) (ग) कोविड-19 जागरूकता समिति (घ) कैरियर गाइडेंस व नियोजन प्रकोष्ठ (ङ) मानवाधिकार क्लब (च) एन.सी.सी. (छ) रोवर स्काउट (ज) महिला प्रकोष्ठ (झ) राष्ट्रीय सेवा योजना (ट) प्रतियोगिता दक्षता परियोजना समिति (ठ) योजना मंच (ड) छात्र विकास संस्था (ढ) ऑनलाइन अध्यापन व सतत् मूल्यांकन
11.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना ज्ञानसुधा
12.	एन.सी.सी. / एन.एस./ रोवर रेंजर / वाई.डी.सी. / महिला प्रकोष्ठ / मानव
13.	अधिकार प्रकोष्ठ जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियम एवं कलैण्डर
14.	छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण
15.	राजकीय महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत)
16.	कुल शिक्षण दिवस एवं अवकाश की सारणी सत्र 2022–2023
17.	राजपत्रित अवकाश वर्ष 2022–23
18.	सत्र 2022–2023 की गतिविधियाँ एवं महत्वपूर्ण दिवस
19.	संकाय मण्डल
20.	शुल्क सूची
21.	समय सारणी
22.	SUMMARY OF UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009

पृष्ठभूमि

विगत सत्र वर्षों से राजस्थान के उत्तरांचल में ज्ञान विज्ञान की अजम्ब धारा प्रवाहित करने वाला यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के आदर्श प्रतिरूप में प्रतिष्ठित है। इस महाविद्यालय का शुभारम्भ सन् 1939 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगासिंह जी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में किया। तब से अनवरत विकास के सोपानों पर चढ़ता हुआ यह महाविद्यालय इस अंचल के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है। सन् 1946 में इसे इन्टरमीडिएट कॉलेज बनाया गया। सन् 1946 से 1954 तक कला संकाय में इन्टरमीडिएट स्तर पर शिक्षा जगत में अपना स्थान प्रतिष्ठित करती हुई यह संरथा 1954 के सत्रारम्भ से कला स्नातक महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत की गई। सन् 1960 में कला वर्ग के साथ-साथ विज्ञान संकाय की स्नातक कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सीमावर्ती क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 1968 में इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वर्तमान में इस महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राणि शास्त्र एवं रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित, भौतिकी, इ.ए.एफ.एम. एवं ए.बी.एस.टी. विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित हैं। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक कक्षाएँ हैं। महाविद्यालय विकास समिति द्वारा महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य नियमित रूप से करवाए जाते हैं। भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान में विषय विशेषज्ञों के निर्देशन में शोध सुविधाएँ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्धता प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से महाविद्यालय के विकास हेतु अनुदान प्राप्त होता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के ध्येय को लेकर चलने वाला यह महाविद्यालय शैक्षिक साज-सज्जा एवं विविध सुविधाएँ प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। महाविद्यालय में E-mitra machine, नवनिर्मित कम्प्यूटर कक्ष, रिकार्डिंग स्टूडियो एवं विकसित कम्प्यूटर लैब की सेवा उपलब्ध है। विद्युत की नियमित आपूर्ति हेतु जरनेटर सैट भी उपलब्ध है। महाविद्यालय भवन का विस्तार निरन्तर जारी है। महाविद्यालय में शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियाँ सुरोग्य प्राध्यापकों द्वारा संचालित होती हैं। महाविद्यालय में 9 खेल प्रांगण हैं। विकास की बहुआयामी संभावनाओं को लेकर चलता हुआ यह महाविद्यालय अपने कर्तव्य पथ पर अनवरत अग्रसर हो नूतन प्रतिमान स्थापित कर रहा है। फरवरी 2015 में नवनिर्मित कम्प्यूटर लैब का लोकार्पण हो चुका है। अक्टूबर 2008 में इस महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर कर दिया गया है।

महाविद्यालय को सत्र 2015–16 में NAAC द्वारा B ग्रेड प्रदान किया गया है, जो कि महाविद्यालय की उत्कृष्टता का द्योतक है। सत्र 2016–17 में RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत महाविद्यालय में रु 2 करोड़ के निर्माण कार्य करवाये गये। प्रथम किश्त 50 लाख रुपये से चार कक्षा-कक्ष निर्मित हो चुके हैं, द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त एक करोड़ रुपयों में से 70 लाख रुपयों से भवन जीर्णोद्धार एवं 20 लाख रुपयों से दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाया जा चुका है।

ऑन लाईन एडमिशन प्रॉसेस (OAP)

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सत्र 2014–15 से स्नातक पार्ट प्रथम में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। सत्र 2016–17 से स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध हेतु प्रवेश के लिए भी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। वर्तमान में सभी कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा होंगे।
2. स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु SSO ID से फार्म भरे जायेंगे। अभ्यर्थी को पंजीकरण के लिए आधार नम्बर, भाषाशाह कार्ड नम्बर, जी-मेल में से किसी एक की आवश्यकता होगी। इस हेतु ई-मित्र सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अन्तर्रिम प्रवेश सूची वरीयता क्रम में जारी की जायेगी। प्रथम अन्तर्रिम प्रवेश सूची में से निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने के कारण रिक्त रहें स्थानों की पूर्ति हेतु अन्य वर्णित शर्तों की पालना करते हुए द्वितीय अन्तर्रिम प्रवेश सूची जारी की जायेगी। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु तृतीय अन्तर्रिम प्रवेश सूची तथा महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार (100, 200 व 300 प्रतिशत) प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी। फिर भी स्थान रिक्त रहने पर प्रवेशित विद्यार्थियों की चतुर्थ सूची के साथ प्रतीक्षा सूची निकाली जा सकेगी।
4. प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात समस्त विद्यार्थियों को मूल अंक तालिकाएँ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जांच महाविद्यालय में करानी होगी। सत्यापन के बाद ही ई-मित्र काउन्टर पर / नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा कराना होगा।
5. प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतर्रिम प्रवेश शुल्क ई-मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा पुनः लौटा दिया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया की समस्त जानकारी एवं महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों की सूचनाएँ महाविद्यालय की विवरणिका एवं प्रवेश समिति के पास भी उपलब्ध हैं।

1. इस विवरणिका में प्रकाशित नियम एवं सूचनाएँ राज्य सरकार, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा प्राचार्य के आदेशों से परिवर्तनीय हैं। नये नियम यथासंभव महाविद्यालय के सूचनापट पर लगा दिये जाते हैं, अतः प्रवेशार्थी का कर्तव्य है कि वह महाविद्यालय के सूचनापट एवं कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें।
2. आवेदन पत्र की पूर्ति करने से पूर्व विवरणिका एवं प्रवेश नीति में प्रकाशित नियमों और परिवर्तित नियमों की जानकारी कर लेना परमावश्यक है।
3. महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय के हित में बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से मना कर सकते हैं।

4. राजकीय सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का प्रवेश अनुमति पत्र साथ संलग्न करेंगे, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के पश्चात् यदि किसी छात्र का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना दी, अपने पिता या संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये अथवा स्वयं ही हस्ताक्षर किये तो उसका कार्य अवांछनीय होने के कारण दंडनीय समझा जायेगा तथा प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा। (वि.वि. अध्यादेश 88)
6. आवेदन—पत्र में छात्र अपना वही नाम लिखेंगे जो बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाण—पत्र में लिखा हो।
7. रेल्वे/रोडवेज रियायती पत्र छात्र द्वारा आवेदन—पत्र में दिये गये स्थायी पते के लिए ही दिया जायेगा। यह रियायती पत्र केवल ग्रीष्मावकाश, दीपावली अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश में देय होगा। बस कन्सेशन पत्र महाविद्यालय द्वारा ही राजस्थान परिवहन निगम द्वारा जारी करने पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
8. विषय परिवर्तन की तिथि प्रवेश नीति के नियमानुसार निर्धारित होगी।
9. एम.ए. उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को लघु शोध—प्रबन्ध लिखने की सुविधा नियमानुसार दी जायेगी।
10. प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा से पूर्व ही पुस्तकालय की पुस्तकें लौटानी होंगी या महाविद्यालय द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करवानी होगी जो पुस्तकों के लौटाने पर वापिस कर दी जायेगी।
11. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रत्येक अनुभाग में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक तथा विज्ञान संकाय में 30 से अधिक नहीं होगी।
12. एम.फिल. कक्षा में प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।
13. स्नातक प्रथम वर्ष विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित है :—
- | कक्षा | छात्र संख्या | स्वीकृत अनुभाग |
|----------------------------|--------------|----------------|
| प्रथम वर्ष कला | 560 | 7 |
| प्रथम वर्ष वाणिज्य | 240 | 3 |
| प्रथम वर्ष विज्ञान – Maths | 70 | 1 |
| Bio | 70 | 1 |
- अधिकतम सीट की संख्या राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर परिवर्तित की जा सकती है।
14. महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय पत्र, प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदैव अपने पास सुरक्षित रखें।
15. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर अवधान राशि वापिस नहीं ली जाने की स्थिति में वह राजकीय कोष में जमा कर ली जायेगी।
16. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए। कोई भी सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
17. विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
18. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
19. अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद / सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ स्नातक पार्ट प्रथम स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा।
20. ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण—पत्र दोनों ओर से स्केन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी / विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण—पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तर्रिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति कार्यरत है। जिसके सदस्य डॉ. चारूलता वर्मा, डॉ. राजेन्द्र कड़वासरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं यू.जी.सी. के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए एन्टी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य है। अण्डरटेकिंग का फार्म वेबसाइट www.antiragging.in पर ऑन लाईन भरना है। रैगिंग सम्बन्धी मामलों में टेलीफोन नं. 0154—2440056 पर तुरन्त सम्पर्क करें।

विशेष आरक्षण, रियायतें एवं लाभ :—

- वर्तमान सत्र में प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) अति पिछड़ा वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। EWS तीन सत्रों के लिए मान्य है।
- अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग (A-ग्रुप—II) राजस्थान सरकार की अधिसूचना F.7 (1)DOP/A-II/2017, जयपुर दिनांक 21.12.2017 की पालना सुनिश्चित की जावें।
- ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश — यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर / ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावेंगा—
(1) विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।
(2) इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग सम्बन्धी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी। (आयुक्तालय आदेश क्रमांक

383 दिनांक 23.06.15)

4. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोनुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा दसवीं व बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
5. ITI (NCVT) एवं RBSE / RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय-दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष मान्य होंगे।
6. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए गणित वर्ग में प्रवेश वरीयता के लिए रसानशास्त्र, भौतिक शास्त्र व गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश वरीयता हेतु रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र व जीव विज्ञान के प्राप्तांक जोड़ना आवश्यक होगा।

आचार संहिता

यह महाविद्यालय आपका है। आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र का यह प्रतिमान और प्रतिबिम्ब है। इसके गौरव और गरिमा की रक्षा करना आपका दायित्व है। सात दशक से भी अधिक कालावधि में साधनारत प्राचार्यों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने इसकी गरिमामयी परम्परा का निर्माण किया है और इस अक्षुण्ण परम्परा की रक्षा आपको करनी है। यह महाविद्यालय अपने चारों ओर फैले समाज का प्रतिरूप और प्रतिमान ही नहीं उसका आदर्शरूप भी है। आपके व्यक्तित्व और व्यवहार से ही सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति संभव है। महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राध्यापकगण आपकी समस्याओं के समाधान के लिये समय-समय पर दिशा निर्देश दत्ते रहेंगे किन्तु आपका दायित्व है कि आप पूर्ण निष्ठा से आचार संहिता का पालन करें।

1. कक्षा में अनुपस्थित छात्र की उपस्थिति न बोलें; यह एक दण्डनीय अपराध है।
2. कक्षा में फर्नीचर एवं बिजली उपकरणों को न तोड़ें और अपने शालीन आचरण के द्वारा कक्षा के सौन्दर्य में वृद्धि करें।
3. कक्षा और कक्षा के बाहर उद्दण्डता का व्यवहार न करें। झुण्ड बनाकर कक्षा के बाहर शोर मचाकर अध्ययन में विध्न न डालें।
4. व्याख्यानकाल में किसी विद्यार्थी को बुलाने के लिये विधन उपस्थित न करें।
5. रिक्त कालाश का सटुपयोग वाचनालय और पुस्तकालय में पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा करें।
6. पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों को फाड़ना सरस्वती का अपमान है। यह एक दण्डनीय अपराध भी है।
7. महाविद्यालय की सभाओं में उपस्थित होकर वक्ताओं के विचारों से लाभ उठाकर अपना वैचारिक एवं बौद्धिक विकास करें।
8. किसी श्रद्धांजलि के प्रसंग में महाविद्यालय के साथ उस महापुरुष के गौरव में अभिवृद्धि करें।
9. शोक सभा में पूरे समय पूरी निष्ठा और भावना से शान्ति पूर्ण व्यवहार करें।
10. महाविद्यालय में खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., रोवर स्काउटिंग और युवा विकास केन्द्र की गतिविधियों आदि के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व विकास के साथ महाविद्यालय के व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करें।
11. प्राचार्य-कक्ष और प्राध्यापक-कक्ष में शालीनता पूर्वक व्यवहार करें।
12. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखें। आपकी उच्छृंखलता एवं अनुशासनहीनता से आपका प्रवेश निरस्त हो सकता है।
13. खेल के मैदान में खेल भावना से खेलें।
14. साइकिलें और वाहन निर्धारित रेटेण्ड पर ही रखें।
15. जल-पान गृह में भी शालीन व्यवहार करें।
16. आप आदर्श और अनुशासनबद्ध विद्यार्थियों के ज्वलंत प्रतिरूप और प्रतिमान बनकर महाविद्यालय की गौरवमयी परम्परा में एक नया अध्याय जोड़ें।
17. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान या किसी प्रकार का नशा करना निषिद्ध है।
18. स्वयं के प्रति, कॉलेज के प्रति, देश व समाज के प्रति तथा साथियों के प्रति अपने दायित्व को सदैव याद रखें।
19. अपनी सम्पूर्ण क्षमता से अपनी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति और विवेक को जागृत करें।
20. अपनी संस्था से प्रेम करें और इसकी गरिमा के संदेशवाहक बनें।
21. महाविद्यालय के आदर्श वाक्य “असतो मा सद्गमय” का अनुकरण करें।

शोध सुविधाएं

इस महाविद्यालय में भूगोल, संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी साहित्य में पीएच.डी. के लिए शोध निर्देशन की सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर शोध निर्देशकों का आवंटन किया जाता है। महाविद्यालय में शोध निर्देशक के रूप में निम्न प्राध्यापक अधिकृत हैं।

अंग्रेजी साहित्य

- डॉ. ओ.पी. तिवारी
- डॉ. पूनम, सह-आचार्य
- डॉ. चारूलता वर्मा, सह-आचार्य
- डॉ. परनीत जग्गी, सह-आचार्य
- डॉ. एस.एस. खींची, सह-आचार्य
- डॉ. राजेन्द्र कुमार, सह-आचार्य
- डॉ. घनश्याम बैरवा, सह-आचार्य
- डॉ. बलवंत सिंह चौहान, सह-आचार्य
- डॉ. नवज्योत भनोत, सह-आचार्य
- डॉ. गोपीराम शर्मा, सहायक आचार्य
- डॉ. विक्रम दयोल, सह-आचार्य
- डॉ. नवीन तिवारी, सह-आचार्य

भूगोल

संस्कृत

हिन्दी साहित्य

इतिहास

राजनीति विज्ञान

पाठ्यक्रम सुविधाएं

स्नातक कक्षाएं – स्नातक स्तर के सभी संकायों (कला, वाणिज्य व विज्ञान) प्रथम वर्ष में निम्नलिखित अनिवार्य विषय होते हैं –

अनिवार्य विषय –

- 1- सामान्य हिन्दी
- 2. सामान्य अंग्रेजी
- 3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
- 4. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय –

1. कला संकाय

- | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1- भूगोल | 2. इतिहास | 3. राजनीति शास्त्र | 4. अर्थशास्त्र | 5. गणित | 6. हिन्दी साहित्य |
| 7. अंग्रेजी साहित्य | 8. संस्कृत | 9. पंजाबी | 10. समाजशास्त्र | 11. दर्शनशास्त्र | |

प्रतिबन्ध –

- 1- इतिहास व गणित विषय एक साथ नहीं ले सकते।
- 2- राजनीति शास्त्र व गणित विषय एक साथ नहीं ले सकते।
- 3- पंजाबी व संस्कृत विषय एक साथ नहीं ले सकते।
- 4- तीन भाषाएं एक साथ नहीं ले सकते।
- 5- तीन प्रायोगिक विषय एक साथ नहीं ले सकते।
- 6- भूगोल व दर्शनशास्त्र विषय एक साथ नहीं ले सकते।

2. विज्ञान संकाय

गणित वर्ग –

- 1- भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. गणित

बाँयो वर्ग –

- 1- प्राणिशास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. रसायन शास्त्र

3. वाणिज्य संकाय

- 1- ए.बी.एस.टी. 2. व्यावसायिक प्रशासन 3. ई.ए.एफ.एम.

नोट – स्नातक स्तर के सभी संकायों के पार्ट ॥ व पार्ट ॥। में ऐच्छिक विषय वही अनुमत होंगे जो उनके पास पार्ट । में थे।

स्नातकोत्तर कक्षाएं

महाविद्यालय में निम्नलिखित सामाजिक विज्ञानों एवं साहित्यिक विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का प्रावधान है ।

सामाजिक विज्ञान (Social Sciences)

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. भूगोल | 2. इतिहास |
| 3. अर्थशास्त्र | 4. राजनीतिशास्त्र |

साहित्य (Literatures)

- | | | |
|-----------|------------|-------------|
| 1. हिन्दी | 2. संस्कृत | 3. अंग्रेजी |
|-----------|------------|-------------|

विज्ञान (Science)

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. प्राणीशास्त्र | 2. रसायन शास्त्र |
|------------------|------------------|

विज्ञान (Science) (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

- | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|---------|------------------|
| 1- प्राणीशास्त्र | 2. रसायन शास्त्र | 3. वनस्पति शास्त्र | 4. गणित | 5. भौतिक शास्त्र |
|------------------|------------------|--------------------|---------|------------------|

वाणिज्य (Commerce) (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. ई.ए.एफ.एम. | 2. ए.बी.एस.टी. |
|---------------|----------------|

कला (Arts) (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

- | |
|----------|
| 1. भूगोल |
|----------|

शैक्षणिक सूचनाएं –

प्रवेश नियमावली

- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की वैबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। भरे हुए प्रवेश आवेदन पत्र की प्रति आवश्यक प्रमाण—पत्रों सहित निर्धारित अन्तिम तिथि तक महाविद्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।
- निदेशालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेंजर/मानवाधिकार वल्ब/महिला प्रकोष्ठ/योजना मंच में से किसी एक गतिविधि में भाग लेना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न किये जाने चाहिये :–
 - अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 - अंतिम संस्था के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र ।
 - अन्तिम संस्था से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
 - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के बाहर से आने वाले प्रार्थियों द्वारा प्रवजन प्रमाण—पत्र (मार्झग्रेशन सर्टिफिकेट)
 - सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका की प्रति ।
 - जिन प्रार्थियों के पिता राजकीय सेवा में हैं, उनके विभागाध्यक्षों से उनके राजकीय सेवा में होने का प्रमाण—पत्र ।
 - अ.पि.वर्ग/अनु.जाति/जनजाति/वि.पि.वर्ग./विकलांग सम्बन्धी प्रमाण—पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 - आय प्रमाण—पत्र ।
 - बोनस अंक हेतु प्रमाण—पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि कोई हो)
 - पासपोर्ट साईज की फोटो
 - आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए ।
 - स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से उनके मूल प्रमाण पत्र शुल्क जमा कराने के समय देखे जायेंगे। **छात्र अपनी अंकतालिका की पर्याप्त फोटो प्रति अपने पास रखें।**
 - स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने पर अपनी अंकतालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय में तुरन्त जमा करवानी होगी ।

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए नियमावली

किसी भी छात्र को तब तक विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल सकेगी, जब तक कि वह –

1. किसी पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने के लिये आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करता ।
2. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का नामांकित छात्र नहीं है। नामांकित होने के लिये छात्र को महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से आवश्यक शुल्क सहित आवेदन पत्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुल सचिव को निर्धारित तिथि तक भिजवा देना अनिवार्य है। आवेदन पत्र व प्रवर्जन प्रमाण—पत्र विलम्ब से भेजने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देना होगा। समय के भीतर नामांकन के लिये छात्र की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।
3. परीक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अनिवार्य 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता ।
4. अध्ययन में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाता। अध्ययन की प्रगति रिपोर्ट महाविद्यालय की परीक्षाओं तथा विषयाध्यापक की टिप्पणी जिस पर संस्था के विषयाध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, के आधार पर की जायेगी ।
5. सब प्रकार के शुल्क, अर्थ दण्ड आदि की राशि कार्यालय में जमा करवाने का प्रमाण—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता ।
6. पुस्तकालय की सब पुस्तकें, पुस्तकालय के समाचार पत्र, पुस्तक लेने का कार्ड, परिचय पत्र, खेलकूद का सामान तथा महाविद्यालय की अन्य वस्तुएँ लौटाने का प्रमाण—पत्र सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं करता ।

टिप्पणी :- किसी गंभीर दुर्घटना या अध्ययन में निरन्तर लापरवाही का आरोप होने पर छात्र परीक्षा में बैठने के अयोग्य माना जाता है। यदि उपर्युक्त समस्त शर्तें पूरी न हों तो महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त परीक्षा प्रवेश पत्र छात्र को न दें।

उपस्थिति की अनिवार्यता

स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाएं

1. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सत्र में दिये व्याख्यानों में प्रति विषय कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. जो विद्यार्थी एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर स्काउटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के कारण कक्षाओं से अनुपस्थित रहते हैं, उन दिनों यथावत उपस्थित माना जायेगा तथा यह अवधि उपस्थितियों में जोड़ दी जायेगी, किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि :
(क) प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापक की लिखित आज्ञा पहले से ली गई हो ।
(ख) निर्धारित प्रपत्र पर समस्त कार्यवाही का विवरण प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर सहित प्रत्येक मध्य सत्र की समाप्ति पर कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया हो ।
- 3- टिप्पणी :- अवकाश में होने वाले अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिये उपस्थिति नहीं मिलेगी ।

- जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिये। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी ।

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएं –

पुस्तकालय

नवनिर्मित भवन में स्थापित महाविद्यालय का पुस्तकालय सभी विषयों की पुस्तकों से युक्त है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकें निम्न अनुभागों में विभक्त हैं।

1. सन्दर्भ ग्रन्थ अनुभाग :

सन्दर्भ ग्रन्थ अनुभाग में प्रत्येक विषय की दुर्लभ और अतिविशिष्ट पुस्तकें रखी जाती हैं वे किसी प्रकार भी पुस्तकालय भवन से निर्गमित नहीं हो सकती, उनका अध्ययन पुस्तकालय में ही किया जा सकता है।

2. वाचनालय

पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र—पत्रिकाएं व विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं से संबंधित पत्रिकाएं उपलब्ध हैं।

3. निर्गमन की जाने वाली पुस्तकों का अनुभाग :

सभी विषयों की उपयोगी पुस्तक इस विभाग में है। पुस्तकों की अलमारियाँ खुली रहती हैं। आप पुस्तक इच्छानुसार निकाल सकते हैं।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम इस प्रकार है :-

1. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय द्वारा के सभीप बाहर रखी अलमारी के शेल्फ में अपनी पुस्तकें आदि रख दीजिए। पुस्तकालय के भीतर केवल एक नोट बुक ले जा सकते हैं।
2. यदि किसी अलमारी में से आपने पुस्तक निकाली है तो उसे उपयोग के बाद सभीपस्थ मेज पर रख दीजिए। आप पुनः अलमारी में न रखें, कर्मचारी स्वयं उसे यथास्थान पर रख देंगे। इस प्रणाली में दूसरे स्थान पर रखी पुस्तक खो जाने के बराबर है।
3. प्रत्येक छात्र को पुस्तकालय में प्रवेश करते समय एवं पुस्तकें प्राप्त करते समय अपना परिचय-पत्र दिखाना आवश्यक है।
4. पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय विद्यार्थियों को पुस्तक की अच्छी हालत न होने की बात पुस्तकालयाध्यक्ष को बता देनी चाहिये अन्यथा फटी हुई पुस्तक का दायित्व विद्यार्थी पर होगा।
5. यदि किसी सेट की पुस्तक खो गई हो तो पूरे सेट को खरीदकर देने अथवा मूल्य देने का दायित्व खोने वाले पर होगा।
6. पुस्तकालय की पुस्तकें किसी दूसरे को नहीं दे सकते, उनका दायित्व स्वयं पर होगा।
7. किसी पुस्तक को छात्र दुबारा लेना चाहे तो वह 15 दिन के बाद पुनः तभी दी जा सकती है जब उसकी मांग करने वाले दूसरे छात्र न हों।
8. छात्रों को अदेय प्रमाण-पत्र लेते समय पुस्तकालय कार्ड लौटाना होगा।
9. यदि कोई छात्र मध्य सत्र में महाविद्यालय छोड़ता है तो उसे पुस्तकों को लौटाना होगा।
10. पुस्तकालय में शान्ति बनाये रखें।
11. पुस्तकालय भवन में वाचनालय भी है। वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक बहुत सी उपयोगी पत्रिकाएं आती हैं। इस सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
12. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त छात्रों से पुस्तकालय अमानत राशि (वापिसी योग्य) 500 रु अलग से लिये जायेंगे।

प्रांगण गतिविधियां

महाविद्यालय परिसर में विविध शिक्षणेतर गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं –

खेलकूद

छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से खेलकूद की उपादेयता को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय शैक्षणिक कार्य के उपरांत खेलकूद की गतिविधियों के उपयुक्त संचालन के लिये महाविद्यालय में खेलकूद समिति गठित की जाती है जिसमें प्रभारी प्राध्यापक, शारीरिक प्रशिक्षक विभिन्न खेलों के प्रभारी प्राध्यापक तथा छात्र प्रतिनिधि के रूप में खेलमत्री सम्मिलित होते हैं। महाविद्यालय में फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, बास्केटबाल, भारोत्तोलन, बैडमिन्टन, हैण्डबाल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, वालीबाल आदि खेलने की व्यवस्था है।

खेलकूद गतिविधियाँ शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की देखरेख में होती हैं। प्रत्येक खेल में पृथक्-पृथक् प्रभारी प्राध्यापक भी हैं जो उन्हें खेलों के विकास और उनसे सम्बन्धित सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं तथा खेलकूद के समय उपस्थित भी रहते हैं।

विश्वविद्यालय एवं अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में हमारे खिलाड़ी भाग लेकर महाविद्यालय को गौरव प्रदान करते हैं। परन्तु वे खिलाड़ी ही इस प्रतियोगिता में भेजे जाते हैं जिनकी खेल मैदान में उपस्थिति योग्यता एवं आचरण उच्च स्तरीय एवं नियमों के भीतर हो।

महाविद्यालय में खेलकूद विभाग द्वारा दिसम्बर माह में खेलकूद सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है। वार्षिक खेलकूद सप्ताह में ऐथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त विभिन्न खेलों में सदन-वार प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं। इस हेतु विभिन्न कक्षाओं के दो सदन बनाये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय प्रतियोगिताओं हेतु महाविद्यालय की टीमों का चयन प्राचार्य द्वारा नियुक्त चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। खेलकूद समिति प्रभारी डॉ. गोपी राम शर्मा, सहायक आचार्य हिन्दी हैं।

युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ (YSAC)

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उन्हें शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार सम्बन्धी अतिरिक्त ज्ञान उपलब्ध करवाने हेतु युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ जैसे – नेशनल कैडिट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एवं स्काउट (रोजर / रेंजर), महिला प्रकोष्ठ, मानवाधिकार वलब (HRC), विद्यार्थी सलाहकार प्रकोष्ठ, नियोजन प्रकोष्ठ (Placement Cell) आदि युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ के अन्तर्गत कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

स्नातक पार्ट – प्रथम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को NCC, NSS, HRC, महिला प्रकोष्ठ (केवल छात्राओं हेतु) व स्काउट में से एक गतिविधि को चुनना अनिवार्य है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी श्रीमती सुनीता नागपाल, सह आचार्य, रसायन शास्त्र है।

कोविड-19 जागरूकता समिति

कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के पालनार्थ महाविद्यालय में कोविड-19 जागरूकता समिति कार्यरत है। समिति प्रभारी डॉ. पूनम के निर्देशन में महाविद्यालय में कोविड- टास्क फोर्स विद्यार्थियों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ धोना आदि कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाते हैं।

कैरियर गाइडेंस व नियोजन प्रकोष्ठ (Career Guidance and Placement Cell) :

इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगारों से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. राजेन्द्र टाक, सह आचार्य भूगोल है।

मानवाधिकार क्लब (Human Rights Club) :

यह प्रकोष्ठ मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न संगोष्ठियों, वाद-विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, भाषणों आदि के द्वारा यह प्रकोष्ठ मानवाधिकारों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करता है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ नवीन तिवाड़ी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, है।

राष्ट्रीय छात्र सैन्य बल (एन.सी.सी.)

छात्रों में राष्ट्रीय प्रेम व अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एन.सी.सी. की 100 कैडेट्स की एक प्लाटून महाविद्यालय में है। स्वस्थ एवं इच्छुक छात्र/छात्राएं ही इसमें चुने जाते हैं। इसके माध्यम से सामरिक अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे सम्बन्धित सूचनाएँ निम्नलिखित हैं :—

1. 16 से 26 वर्ष की आयु के छात्र ही इसमें सम्मिलित किये जाते हैं।
2. इस योजना में छात्रों को कम से कम 33 दिन (3–3 पीरियड प्रतिदिन) उपस्थित रहना पड़ता है।
3. दो वर्ष में एक बार 10 दिन के शिविर में भाग लेना पड़ता है।
4. सामान्यतः एन.सी.सी का कोर्स 3 वर्षों का होता है परन्तु एक वर्ष की अवधि विशेष स्थिति में बढ़ाई जा सकती है।
5. कैडेट्स को निःशुल्क पोशाक, धुलाई भत्ता, उपकरण तथा परेड के पश्चात् जलपान दिया जाता है।
6. आवश्यक योग्यता वाले छात्रों को 'बी' तथा 'सी' प्रमाण—पत्र परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है।
7. स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंक एवं सी सर्टिफिकेट परीक्षा में ग्रेड बी या उससे ऊपर ग्रेड में उत्तीर्ण कैडेट्स को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में लिखित परीक्षा से छूट मिलती है।
8. एन.सी.सी. में भाग लेने के इच्छुक छात्र एन.सी.सी. ऑफिसर कैप्टन डॉ. अरुण शैहरिया से प्रवेश के पश्चात् सम्पर्क करें।

नोट: एन.सी.सी./रोवर स्काउट/एन.एस.एस में से एक गतिविधि में ही छात्र भाग ले सकेगा।

रोवर स्काउट

महाविद्यालय में रोवर की व्यवस्था है। रोवरिंग का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन तथा जन सेवा भावना जागृत करना है। भ्रमण में रुचि रखने वाले छात्रों को रोवरिंग अनुपम अवसर प्रदान करती है। सुन्दर पर्वतीय स्थानों पर शिविर आयोजित किये जाते हैं। दिसम्बर में अन्तर्राजस्थान रोवर मूलतः राजस्थान के किसी दर्शनीय स्थान पर आयोजित होता है। अखिल भारतीय स्तर पर भी विविध आयोजनों में भाग लेने के अवसर आते रहते हैं। जो छात्र निर्धारित स्तर प्राप्त करते रहते हैं उन्हें सम्बन्धित प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाते हैं। महाविद्यालय में रोवर स्काउट प्रभारी श्री सी.पी. जान्दू सहायक आचार्य इतिहास हैं।

नोट: एन.सी.सी./रोवर स्काउट/एन.एस.एस में से एक गतिविधि में ही छात्र भाग ले सकेगा।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ की व्यवस्था है। महाविद्यालय में अध्यनरत सभी छात्राएँ इसकी सदस्य होती हैं। इसकी प्रभारी डॉ. पूनम, सह-आचार्य हैं। इस प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं के लिए सत्र के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विजेता छात्राओं को पारितोषिक भी प्रदान किये जाते हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारम्भ गांधी शताब्दी वर्ष में राष्ट्रपिता को उनके युवाओं में अटूट विश्वास की श्रद्धांजलि का स्वरूप है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन.एस.एस. ने परिसर को समाज से जोड़ने का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। एन.एस.एस. का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपना अनुभव बढ़ाएँ।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिये एडस के प्रति जागरूकता, बस्ती/गांव गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. में रह कर छात्र/छात्राएं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में छात्र/छात्राओं को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घण्टे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्रों के लिये विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वाद विवाद, आशु भाषण, विवज, जागरूकता, आदि कार्यक्रम विद्यालय/चयनित बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा एक दस दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने

वाले स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है। हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की चार इकाईयाँ स्वीकृत हैं जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 400 छात्र/छात्राएँ पंजीकृत किये जाते हैं। इन चारों इकाईयों के कार्यक्रम अधिकारी श्री विकास सोलंकी, श्री मैनपाल, श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री रोहित बिश्नोई हैं।

एन.एस.एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है। परन्तु प्रत्येक स्वयंसेवक को एक आवेदन पत्र भरना आवश्यक है जो महाविद्यालय के एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। छात्र एन.एस.एस. अथवा एन.सी.सी. में से केवल एक में भाग ले सकता है। इच्छुक छात्र कार्यक्रम अधिकारियों से सम्पर्क करें।

प्रतियोगिता दक्षता परियोजना समिति

इस समिति के समन्वयक श्री चन्द्रपाल जांदू के अधक प्रयासों से महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के निर्देशन में जरूरतमंद व निर्धन विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। महाविद्यालय में रिकार्डिंग स्टूडियो की विशेष सुविधा उपलब्ध है।

योजना मंच

प्रत्येक विद्यार्थी जो एम.ए. अर्थशास्त्र (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध) में प्रवेश लेगा अथवा स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेगा, वह अनिवार्य रूप से योजना मंच का सदस्य होगा। अन्य विषयों या संकाय के विद्यार्थी भी सदस्यता शुल्क देकर योजना मंच के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता शुल्क 10 रुपये वार्षिक है जो महाविद्यालय शुल्क के साथ ही प्रवेश के समय वसूल किया जायेगा। योजना मंच प्रभारी श्रीमती कविता शर्मा, सह-आचार्य अर्थशास्त्र हैं। योजना मंच की कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन गत परीक्षा में प्राप्त सर्वोच्च अंकों के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा :—

अध्यक्ष	एम.ए. उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र
उपाध्यक्ष	एम.ए. पूर्वार्द्ध अर्थशास्त्र
सचिव	बी.ए. भाग तृतीय
संयुक्त सचिव	बी.ए. भाग द्वितीय

छात्र विकास संस्था

छात्रों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी एवं जागरूकता हेतु महाविद्यालय में छात्र विकास संस्था का गठन छात्रों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। छात्र विकास संस्था की कार्यकारिणी में कक्षा प्रतिनिधियों में से खेल सचिव, साहित्यक सचिव एवं सांस्कृतिक सचिव का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। छात्र विकास संस्था का कार्य महाविद्यालय का विकास एवं छात्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महाविद्यालय प्रशासन से सहयोग करना है। इस संस्था के चुनाव की तिथि के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अलग से सूचित किया जायेगा।

ऑनलाइन अध्यापन व सतत मूल्यांकन

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को **Whatsapp groups** के माध्यम से **PDF notes, Video lectures, Quiz व Assignments** कॉलेज प्राध्यापकों द्वारा नियमित रूप से दिये जा रहे हैं।

सत्र 2022–2023 के छात्रों की दक्षता परीक्षण एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के अनुभव के लिए महाविद्यालय में छात्रों की मासिक परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जायेगा। विद्यार्थी का क्लास रूम टैस्ट 20 अंकों का निर्धारित कक्षा में प्रत्येक विषय के कालांश में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा लिया जायेगा। इसके लिए स्टेशनरी स्वयं विद्यार्थी को लानी होगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा किया जायेगा और उत्तर पुस्तिकाएँ टिप्पणी सहित विद्यार्थियों को लौटा दी जायेगी।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक नवीन छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 के नाम से ज्ञातव्य यह राज्य सरकार की एक स्टेट फ्लैगशिप योजना है। यह योजना अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 500/- प्रतिमाह (एक वर्ष में 10 माह अर्थात् 5000 रुपये वार्षिक) देय होगे जो कि 5 वर्षों तक अथवा नियमित अध्ययन जारी रहने तक प्रदान किए जायेंगे। दिव्यांग विद्यार्थी को इस योजनान्तर्गत अधिकतम 10000/- रुपये छात्रवृत्ति देय है।

पात्रता : इस योजना का लाभ उन छात्र-छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्त पूर्ण करते हों –

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वर्ष 2022 में उच्च माध्यमिक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो ।
2. राज्य की किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त/तकनीकी संस्था में नियमित अध्ययनरत हो ।
3. राजस्थान का मूल निवासी हो ।
4. माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो ।
5. भारत/राजस्थान सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि प्राप्त न कर रहा हो और न ही आवेदन किया हुआ हो ।

जो छात्र उपर्युक्त शर्त पूर्ण करते हों वे निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें और नवीनीकरण आवेदन भी ऑनलाईन भरे जायेंगे ।

विस्तृत विवरण हेतु वेबसाईट : www.dce.rajasthan.gov.in

6. गत वर्ष मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके विद्यार्थी 60% अंकों से उत्तीर्ण होने पर मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं ।

ज्ञानसुधा

कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में युवाओं की सहायता व मार्गदर्शन हेतु संचालित ज्ञानसुधा कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाले ऑनलाईन लाइव सेशंस के लिए प्रदत्त **Youtube** लिंक का विद्यार्थियों के **whatsapp groups** पर **share** किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें ।

एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेंजर/ महिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियम एवं क्लैण्डर

महाविद्यालय के एन.सी.सी. विभाग में 100 कैडेट्स की सीटें उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अपने प्रवेश के बाद एन.सी.सी. प्रभारी कैप्टन डॉ. अरुण शहैरिया से सम्पर्क कर सकते हैं।

1. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान उपरोक्त गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं।
2. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/व्याख्याताओं द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर वर्षभर संचालित होने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाता है।
3. छात्र एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
4. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई गतिविधि लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।
5. द्वितीय/तृतीय वर्ष, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में निदेशालय से समय-समय पर जारी होने वाले परिपत्र जो कि निदेशालय की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in पर जारी किये जाते हैं। उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर-रेंजर	स्काउट एवं गाइड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4. महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

छात्रवृत्तियाँ एवं ऋण

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियां

(अ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति – अनु० जाति और अनु० जन जाति

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनु० जन जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।

(1) पात्रता :-

- (क) केवल वे ही छात्र, जो राजस्थान के अनु० जाति/अनु.जनजाति से सम्बन्धित हों।
- (ख) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने लगे इसके पात्र नहीं होंगे।
- (ग) नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।
- (घ) एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।
- (ङ) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।
- (च) अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं।

(2) राशि :- छात्रवृत्ति की राशि के लिए 5 समूह का संशोधित समूहीकरण चार समूहों अर्थात् 1, 2, 3 एवं 4 में निम्न अनुसार होगा

	समूह	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
एम.फिल.	1	1200	550
स्नातकोत्तर	2	820	530
स्नातक	3	570	300

आय सीमा : भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देय छात्रवृत्तियों के लिए :-

- (1) अनुसूचित जाति के लिए : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9(4) (58)/छात्रवृत्ति/नियम/सा.न्या.अ.वि./2010-11/3254-3508 जयपुर दिनांक 19.1.2011 के अनुसार 2.00 लाख रुपये (1.7.2010 से)।
- (2) अनुसूचित जनजाति के लिए : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9(4) (58)/छात्रवृत्ति/नियम/सा.न्या.अ.वि./2010-11/61919-62175 दि 18.8.2011 के अनुसार 2.00 लाख रुपये।
- (3) विशेष पिछड़ा वर्ग : एफ 11(64) दे.यो/छात्रवृत्ति/सा.न्या.अ.वि./10/89959-90215 दिनांक 5.12.2011 के अनुसार 2.00 लाख रुपये।
- (4) अन्य पिछड़ा वर्ग : दिनांक 1.7.2011 से 1.00 लाख रुपये।

नोट :- आय प्रमाण पत्र केवल एक बार लिये जाने की आवश्यकता है अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय।

- (4) फीस :- छात्र द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा किन्तु इसमें काशनमनी सम्मिलित नहीं होगी।
- (5) नवीनीकरण :- अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी इसके लिए छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।
- (6) भुगतान :- छात्र का चयन आय सीमा के आधार पर किया जायेगा इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह से) जो भी बाद में हो, से परीक्षा पूरी होने तक प्रति माह किया जायेगा।

नोट :- विद्यार्थी का आचरण असन्तोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती लें।

(7) आवेदन :- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा।

(ब) अनु० जाति/अनु०जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान :-

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रु प्रतिमाह)
समूह I, II	240
समूह - III	200

(ख) विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 160 रुपये परिवहन भत्ते का प्रावधान है यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हो।

(स) विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति :-

अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (ओर्थोपिडिकली हैंडीकेप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2. विशेष पिछळा वर्ग हेतु उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति – वे छात्र जिन के माता-पिता की कुल वार्षिक आय, 144000 होगी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। विशेष पिछळा वर्ग (SBC) की वे छात्राएँ जिन्होने स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं हेतु उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप देवनारायण स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क स्कूटी दी जाती है।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
छात्रवृत्ति कैलेण्डर

क्र. सं.	छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित / संभावित तिथियाँ
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्यता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना।	
2.	राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेस के अन्तर्गत विदेश में अध्ययन हेतु विस्तृत जानकारी हेतु www.hte.rajasthan.gov.in पर देखें	15 जुलाई 2022 (अन्तिम तिथि)
3	उक्त छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों के पेपरलेस ऑन लाइन पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त महाविद्यालय के पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ करने की अंतिम तिथि	07 सितम्बर 2022
4	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिये पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि	31 अक्टूबर 2022
5	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	15 नवम्बर 2022
6	जिला नोडल अधिकारी द्वारा महाविद्यालयों से प्राप्त कालीबाई भील मेघवी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्यता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजनान्तर्गत समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जॉच उपरान्त आयुक्तालय को फॉरवर्ड करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/विद्यार्थियों को प्रति प्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	30 नवम्बर 2022
7	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत महाविद्यालयों से प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृत करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों की (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/विद्यार्थियों को प्रति प्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	15 दिसम्बर 2022
8	आयुक्तालय द्वारा कालीबाई भील मेघवी छात्रा स्कूटी योजना/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जॉच उपरान्त अस्थाइ सूची जारी करने की तिथि	13 जनवरी 2023
9	विधवा एवं परित्यक्यता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करना	18 जनवरी 2023
10	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करना	18 जनवरी 2023

नोट – सभी छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम निर्देश ही मान्य होंगे।

राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर विकास समिति (पंजीकृत)

इस महाविद्यालय के नव निर्माण कार्यों, फर्नीचर व्यवस्था, नये पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड विकास समिति कार्यरत है। इस समिति के अध्यक्ष प्राचार्य, सचिव श्री बलवत रतन हैं तथा स्थानीय सांसद, जिला प्रमुख, उपराजपति अधिकारी, दो शिक्षाविद, अध्यक्ष छात्र विकास संस्था तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रबुद्ध नागरिक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति द्वारा महाविद्यालय की स्टेडियम व रेलवे लाइन साइड की दीवार, कमरों व बरामदों तथा विज्ञान भवन में प्रयोगशाला का निर्माण कार्य तथा आठ कमरों में फर्नीचर फिक्स का कार्य भी पूर्ण किया गया है। विकास समिति द्वारा स्नातक स्तर पर स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत 3 विषयों में एम. फिल तथा दो विषयों में एम.एस.सी. कक्षाएँ संचालित हैं। सत्र 2009–2010 से एम.ए. भूगोल एवं अंग्रेजी विषय में एक-एक अतिरिक्त सैक्षण प्रारम्भ किया गया है। विकास समिति द्वारा शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत छात्रा कामन रूम का निर्माण कार्य, छात्रों हेतु नई कैन्टीन बनाने का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त विकास समिति द्वारा महाविद्यालय में तीन पार्कों का निर्माण, पार्कों की तारबन्दी, पानी हेतु पक्की नालियों का निर्माण तथा नये फुटपाथों का निर्माण, महाविद्यालय की स्टेज का विस्तार एवं जरनेटर हेतु शैड के निर्माण के साथ छात्रों हेतु नये पेशाब घर का निर्माण भी करवाया गया है। पिछले सत्र में समिति द्वारा महाविद्यालय में छात्रा कॉमन कक्ष में शौचालय का निर्माण व फर्नीचर की व्यवस्था, बैडमिन्टन कोर्ट का निर्माण, ऑपन जिम के सभी उपकरण स्थापित किये गये, विज्ञान भवन के पॉर्च में इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं रंग रोगन, महाविद्यालय स्टेज का जीर्णोद्धार, 20000 लीटर के बाटर टैंक का निर्माण, दिव्यांग शौचालय का निर्माण, रसायनशास्त्र, भौतिक, राजनीति विज्ञान व संस्कृत विभाग में फ्लोर टाईल्स लगवायी गयी। 40ए कक्ष में फर्श दुबारा बनाया गया। कॉलेज कैन्टीन का रंग-रोगन, खेल विभाग एवं एन.सी.सी. कक्ष का जीर्णोद्धार, आर्मी ऑब्स्टेक्ल कोर्स का निर्माण, सबमर्सिंबल पम्प एवं विभिन्न खेल मैदानों में पानी सप्लाई हेतु पाईपलाइन ड्लवाने का कार्य किया गया।

कुल शिक्षण दिवस एवं अवकाश की सारणी सत्र 2022–2023

mPp f'k{kk foHkkx] jktLFkku

माह	रविवार	राष्ट्रीय अवकाश	रविवार सहित कुल अवकाश	शिक्षण दिवस	विशेष विवरण
जुलाई 2022 (31 दिवस)	05	1.07.2022	05	26	ईद उल जुहा चांद दिखने पर
अगस्त, 2022 (31 दिवस)	04	09.08.2022 विश्व आदिवासी दिवस, मोहर्रम 11.08.2022 रक्षाबंधन 15.08.2022 स्वतत्रता दिवस 19.08.2022 जन्माष्टमी	08	23	मोहर्रम (ताजिया) चांद दिखाई देने पर
सितम्बर, 2022 (30 दिवस)	04	05.09.2022 बाबा रामदेव जयंती, तेजा दशमी एवं खेजडली शहीद दिवस 26.09.2022 नवरात्रा स्थापना	06	24	
अक्टूबर 2022 (31 दिवस)	05	03.05.2022 दशहरा 09.10.2022 बारावफात 19–26.10.2022 दीपावली अवकाश	15	16	बारावफात चांद दिखने पर
नवम्बर 2022 (30 दिवस)	04	8.11.2022 गुरुनानक जयंती	05	25	
दिसम्बर, 2022 (31 दिवस)	04	25.12.22–31.12.22 शीतकालीन अवकाश 25.12.2022 क्रिसमस डे 29.12.2022 गुरु गोविन्द जयन्ती	10	21	
जनवरी, 2023 (31 दिवस)	05	26.01.2023 गणतंत्र दिवस	06	25	
फरवरी, 2023 (28 दिवस)	04	18.02.2023 महाशिवरात्री	05	23	
मार्च, 2023 (31 दिवस)	04	6–7.03.2023 होली 23.03.2023 चेटीचण्ड 30.03.2023 रामनवमी	08	23	
अप्रैल, 2023 (30 दिवस)	05	04.04.2023 महावीर जयंती 07.04.2023 गुडफ्रेडे 14.04.2023 अम्बेडकर जयन्ती 22.04.2023 ईदुल फितर	09	21	ईदुल फितर चांद दिखने पर
मई, 2023 (31 दिवस)	04	02.05.2023 महाराण प्रताप जयन्ती	05	26	
जून, 2023 (30 दिवस)	04	29.06.2023 ईद उल जुहा	05	25	ईद उल जुहा चांद दिखने पर

कुल शिक्षण दिवस

183 दिवस

प्रदेश की समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश के सम्बन्ध में हर वर्ष सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुरूप आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश मान्य होगा, साथ ही शैक्षणिक स्टाफ के लिए निर्मांकित अवकाश अलग से रहेगा।

दशहरा अवकाश – 03 अक्टूबर, 2022 से 05 अक्टूबर 2022

दीपावली अवकाश – 19 अक्टूबर, 2022 से 26 अक्टूबर 2022

शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://ite.rajasthan.gov.in/dept/dcc/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक एफ7(4)शिक्षणिक कलैण्डर/अकाद/आकाश/2003/384-414 दिनांक 12 नवम्बर, 2021

आदेश

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.6(1)सा.प्र.वि./6/2021 जयपुर दिनांक 21.10.2021 की अनुपालना में आयुक्तालय के अधीन समस्त महाविद्यालयों में कलैण्डर वर्ष 2022 (ग्रेगोरियन) ई.शक संवत् 1943-44 में निम्नलिखित अवकाश घोषित किये जाते हैं :-

सार्वजनिक अवकाश

क्र.सं.	अवकाश का नाम	राष्ट्रीय कलैण्डर	ग्रेगोरियन दिनांक	वार
1.	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	19 पौष, 1943	09.01.2022	रविवार
2.	गणतन्त्र दिवस	06 माघ, 1943	26.01.2022	बुधवार
3.	महाशिवरात्रि	10 फाल्गुन, 1943	01.03.2022	मंगलवार
4.	होलिका दहन	26 फाल्गुन, 1943	17.03.2022	गुरुवार
5.	धूलिण्डी	27 फाल्गुन, 1943	18.03.2022	शुक्रवार
6.	चटीचण्ड	12 चैत्र, 1944	02.04.2022	शनिवार
7.	रामनवमी	20 चैत्र, 1944	10.04.2022	रविवार
8.	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती	24 चैत्र, 1944	14.04.2022	गुरुवार
9.	श्री महावीर जयन्ती	24 चैत्र, 1944	14.04.2022	गुरुवार
10.	गुड़ फ्राइडे	25 चैत्र, 1944	15.04.2022	शुक्रवार
11.	परशुराम जयन्ती	13 वैशाख, 1944	03.05.2022	मंगलवार
12.	ईदुलफितर (चाँद से)	13 वैशाख, 1944	03.05.2022	मंगलवार
13.	महाराणा प्रताप जयन्ती	12 ज्येष्ठ, 1944	02.06.2022	गुरुवार
14.	ईदुलजुहा	19 आषाढ़, 1944	10.07.2022	रविवार
15.	विश्व आदिवासी दिवस	18 श्रावण, 1944	09.08.2022	मंगलवार
16.	मोहरम (ताजिया)(चाँद से)	18 श्रावण, 1944	09.08.2022	मंगलवार
17.	रक्षाबंधन	20 श्रावण, 1944	11.08.2022	गुरुवार
18.	स्वतंत्रता दिवस	24 श्रावण, 1944	15.08.2022	सोमवार
19.	श्री कृष्ण जन्माष्टमी	28 श्रावण, 1944	19.08.2022	शुक्रवार
20.	रामदेव जयन्ती, लेजादशमी एवं खेजड़ली शहीद दिवस	14 भाद्रपद, 1944	05.09.2022	शुक्रवार
21.	नवरात्रा स्थापना	04 आश्विन, 1944	26.09.2022	सोमवार
22.	महात्मा गांधी जयन्ती	10 आश्विन, 1944	02.10.2022	रविवार
23.	दुर्गाष्टमी	11 आश्विन, 1944	03.10.2022	सोमवार
24.	विजयदशमी	13 आश्विन, 1944	05.10.2022	बुधवार
25.	बारावफात (चाँद से)	17 आश्विन, 1944	09.10.2022	रविवार
26.	दीपावली	02 कार्तिक, 1944	24.10.2022	सोमवार
27.	गोवर्धन पूजा	03 कार्तिक, 1944	25.10.2022	मंगलवार
28.	भैया दोज	04 कार्तिक, 1944	26.10.2022	बुधवार
29.	गुरुनानक जयन्ती	17 कार्तिक, 1944	08.11.2022	मंगलवार
30.	क्रिसमस डे	04 पौष, 1944	25.12.2022	रविवार
31.	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	08 पौष, 1944	29.12.2022	गुरुवार

नोट :-

- वर्ष के समस्त रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार का अवकाश जिन्हें देय है, वे इसका उपभोग द्वितीय शनिवार के दिवस से उसी माह की अंतिम तारीख तक कर सकेंगे।

General Office order

2. मुस्लिम अवकाश चन्द्रमा दिखाई देने पर निर्भर रहेंगे।
3. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ 1(80) शिक्षा-6/63 दिनांक 15.9.69 के अनुसार कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।
4. महाविद्यालयों में प्राचार्य को कलैण्डर वर्ष में 3 दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार रहेगा।
5. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ (डी) (255) शिक्षा-2/विभाग दिनांक 11.2.63 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाश देय नहीं है, इसके बदले में महाविद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दो दिवस का क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश की अवधि में देय होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 1(520) शिक्षा-6/62 दिनांक 15.3.62 के आदेशानुसार निम्नलिखित राजपत्रित अवकाश के दिन महाविद्यालयों में अवकाश नहीं रहेगा एवं इन दिवसों में कार्य करने की ऐवज में नियमानुसार जिन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश देय हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश की अवधि में देय होगा।

क्र.सं.	अवकाश का नाम	राष्ट्रीय कलैण्डर	ग्रेगोरियन दिनांक	वार
1.	नवरात्रा स्थापना	04 आश्विन, 1944	26.09.2022	सोमवार
2.	महात्मा गांधी जयन्ती	10 आश्विन, 1944	02.10.2022	रविवार

7. कोटा जिले में जन्माष्टमी के बाद आने वाला दिन रथतः जन्माष्टमी के रथान पर अवकाश के रूप में माना जावेगा।

(त्रिमुखनपति)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. कुल सचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंवार विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. कुल सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. कुल सचिव, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. कुल सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
9. कुल सचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
10. कुल सचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
11. कुल सचिव, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर।
12. कुल सचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
13. कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/कोटा/जोधपुर/जोबनेर।
14. कुल सचिव, राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
15. कुल सचिव, तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/बीकानेर।
16. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
19. कुल सचिव, महाराजा भूरजग्नी विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुल सचिव, राज ऋषि भर्तृहरि भरत्य विश्वविद्यालय, अलवर।
21. कुल सचिव, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
22. कुल सचिव, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
23. कुल सचिव, जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
24. कुल सचिव, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
25. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
26. निदेशक, संस्कृत विभाग, राजस्थान, जयपुर।
27. निदेशक, प्रावधिक शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
28. निदेशक, एन.सी.सी. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
29. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
30. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
31. वेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

(सौमित्र नाथ जा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
सत्र 2022–23 अकादमिक / छात्रवृति / साहित्यिक / सांस्कृतिक कैलेण्डर
सामान्य निर्देश

नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना एवं पूरक परीक्षाओं का आयोजन सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुसार होगा।
राज्य के किसी भी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस. / एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षणेत्तर गतिविधियां
दिनांक 31.01.2023 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायेंगी।
विश्वविद्यालय की सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं – सम्बद्धक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार।

- (अ) शिक्षण कार्य प्रारम्भ – 01.07.2022
- (ब) सत्र का अन्तिम कार्य दिवस – 30.04.2023
- (स) परीक्षा अवधि – विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा सारणी के अनुसार
- (द) ग्रीष्मावकाश – 01.05.2023 से 30.06.2023

सत्र 2022–2023 की गतिविधि/k;ka

क्र. सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	शैक्षणिक सत्र आरम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन	शुक्रवार 01.07.2022
2	सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	
3	अ. समस्त स्नातक पार्ट द्वितीय एवं स्नातकोत्तर (उत्तरराज्य) कक्षाएं ब. स्नातक प्रथम स. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि	शुक्रवार 01.07.2022 बुधवार 20.07.2022 प्रवेश कार्यक्रम पृथक से जारी किया जायेगा।
4	शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अन्तिम तिथि	बुधवार 31.08.2022
5	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
6	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
7	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
8	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह	राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार
9	एन.एस.एस./ एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियां	वर्ष पर्यन्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार
10	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	
	(क) स्नातक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
	(ख) स्नातकोत्तर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
11	सत्र का समाप्ति	शुक्रवार 30.06.2023
12	परीक्षा परिणामों की घोषणा	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
13	नवीन सत्रारम्भ	शनिवार 01.07.2023

सत्र 2022–23 की प्रमुख गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन
माह जुलाई 2022

नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ

11.07.2022 विश्व जनसंख्या दिवस

15.07.2022 विश्व युवा कौशल दिवस

माह अगस्त, 2022

महाविद्यालय में सभी समितियों व परिषदों का गठन कार्य पूरा किया जाये।

विभिन्न छावृत्तियों से संबंधित सूचनायें विद्यार्थियों को उपलब्ध करवायी जायें।

15.08.2022 स्वंत्रता दिवस

20.08.2022 सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा तथा शिक्षा अधिकार दिवस

29.08.2022 राष्ट्रीय खेल दिवस

माह सितम्बर, 2022

08.09.2022 विश्व साक्षरता दिवस

14.09.2022 हिन्दी दिवस

24.09.2022 राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस

माह अक्टूबर 2022

01.10.2022 राष्ट्रीय रक्तदान दिवस / अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

02.10.2022 महात्मा गांधी / शास्त्री जयंती / अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर विशेष कार्यक्रम।

24.10.2022 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस

माह नवम्बर 2022

14.11.2022 कौमी एकता सम्प्राप्ति (बाल दिवस)

25.11.2022 अन्तर्राष्ट्रीय महिला हिंसा अन्मूलन दिवस

26.11.2022 संविधान दिवस

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

माह दिसम्बर 2022

01.12.2022 विश्व एड्स दिवस

10.12.2022 विश्व मानवाधिकार दिवस

माह जनवरी 2023

राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन एवं गणतंत्र दिवस का आयोजन।

12.01.2023 राष्ट्रीय युवा दिवस

23.01.2023 सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती

26.01.2023 गणतंत्र दिवस

सह—शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2023 होगी।

माह फरवरी, 2023

विश्वविद्यालय की प्रायोगिक / सैद्धान्तिक परीक्षाओं को विश्वविद्यालयों के निर्देशानुसार वार्षिक परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में तैयारी व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन

18.02.2023 स्वामी दयानन्द जयन्ती

28.02.2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

माह मार्च, 2023

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ

08.03.2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

15.03.2023 विश्व उपभोक्ता दिवस

30.03.2023 राजस्थान दिवस

माह अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन

07.04.2023 विश्व स्वास्थ्य दिवस

14.04.2023 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयन्ती

माह मई, 2023

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन

01.05.2023 से ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ

माह जून, 2023

01.06.2023 से आगामी सत्र 23–24 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ

30.06.2023 शैक्षणिक सत्र का समाप्ति

सांस्कृतिक गतिविधियों का कैलेण्डर सत्र 2022–2023

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर / नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार आयोजित करवानी होगी।
1	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अयुक्तालय द्वारा जारी तिथि अनुसार आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को वर्यनित किया जाये।	समस्त प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं आयोजक महाविद्यालय संबंधी सूचना अयुक्तालय द्वारा जारी कर दी जायेगी।
2	समूह गीत		
3	वाद्य संगीत		
4	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोक नृत्य		
5	समूह नृत्य		

साहित्यिक गतिविधियों का कैलेण्डर सत्र 2022–2023
जिला स्तरीय अन्तर महाविद्यालय वाद–विवाद, विवरण एवं काव्य पाठ (स्वरचित)
प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी।

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियां आयोजित होगी	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार आयोजित करवानी होगी
अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा नागौर, टोंक	65	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महा. अजमेर	वाद–विवाद एवं विवरण प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) प. नवलकिशोर शर्मा
भरतपुर	भरतपुर घौलपुर करौली सराईमाधोपुर	52	एम.एस.जे. भरतपुर	राजकीय महाविद्यालय, दौसा में आयोजित होगी।
बीकानेर	बीमानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चुरू	52	झूंगर महा. बीकानेर	
कोटा	कोटा बारां झालावाड़ बूंदी	38	कला कोटा	
जयपुर	जयपुर दौसा सीकर झुन्झुनू	116	बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर	
उदयपुर	उदयपुर झूंगरपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा प्रतापगढ़	59	राज. महा. चित्तौड़गढ़	
जोधपुर	जोधपुर पाली सिरोही जालौर बाड़मेर जैसलमेर	76	राज. महा. सिरोही	

नियम :-

1. आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टीम प्रतिस्पर्द्धा में प्रतिभागियों की न्यनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. आयोजन संस्था 200/- रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
3. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें।
4. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
5. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।
6. जिला स्तर पर आयोजित समस्त प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।
7. किसी भी समूह प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे। एकल एवं समूह प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थानों हेतु न्यनतम चार टीमों का होना आवश्यक है।
8. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है।

संकाय मण्डल

प्राचार्य : – श्री बलवंत सिंह रतन



अंग्रेजी विभाग 1. डॉ. ओ.पी. तिवारी, सह-आचार्य 2. डॉ. (श्रीमती) पूनम, सह-आचार्य 3. डॉ. (श्रीमती) चारुलता वर्मा, सह-आचार्य 4. डॉ. (श्रीमती) परनीत जग्गी, सह-आचार्य 5. डॉ. (श्रीमती) अल्का, सहायक आचार्य	राजनीति शास्त्र विभाग 1. डॉ. नवीन तिवारी, सह-आचार्य 2. श्रीमती सुशीला यादव 3. रिक्त 4. रिक्त 5. रिक्त
भूगोल विभाग 1. डॉ. एस.एस. खीची, सह-आचार्य 2. डॉ. अरुण शैहरिया, सह-आचार्य 3. श्री डी.डी. शर्मा, सह-आचार्य 4. डॉ. राजेन्द्र कुमार, सह-आचार्य 5. श्री अमित कुमार, सहायक-आचार्य 6. डॉ. राहुल, सहायक आचार्य 7. रिक्त	हिन्दी विभाग 1. डॉ. (सुश्री) नवज्योत भनोत, सह-आचार्य 2. डॉ. गोपीराम शर्मा, सहायक आचार्य 3. डॉ. अनीता प्रजापत, सहायक आचार्य 4. श्रीमती गीतांजली कोलीवाल सहायक-आचार्य 5. रिक्त
इतिहास विभाग 1. डॉ. विक्रम सिंह दयोल, सह-आचार्य 2. श्री चन्द्रपाल जान्दू, सहायक आचार्य 3. श्री आत्माराम, सहायक आचार्य 4. श्री अरविन्द सुलानियां, सहायक आचार्य 5. रिक्त	संस्कृत विभाग 1. डॉ. घनश्याम बैरवा, सह-आचार्य 2. डॉ. बी.एस. चौहान, सह-आचार्य 3. रिक्त 4. रिक्त
अर्थशास्त्र विभाग 1. श्री बलवन्त सिंह रतन, सह-आचार्य 2. श्रीमती कविता शर्मा, सह-आचार्य 3. सुश्री कोमल बंसल, सहायक आचार्य 4. श्री निर्भय सिंह, सहायक आचार्य 5. रिक्त 6. रिक्त	दर्शन शास्त्र विभाग (स्नातक स्तर) 1. श्री कालूराम ज्याणी, सहायक आचार्य
	समाज शास्त्र विभाग (स्नातक स्तर) 1. श्री मेनपाल, सहायक आचार्य
	पंजाबी विभाग (स्नातक स्तर) 1. रिक्त



<p>वनस्पति शास्त्र विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. राजेन्द्र कडवासरा, सह-आचार्य 2. श्री रजत भोला, सहायक आचार्य 3. श्री रोहित बिश्नोई, सहायक आचार्य <p>गणित विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. एच.एस. कलसी, सह-आचार्य (कार्यव्यवस्थार्थ) 2. श्री विकास सोलंकी, सहायक आचार्य 3. श्री राजेन्द्र, सहायक आचार्य <p>भौतिक शास्त्र विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री पी.आर. सुथार, सह-आचार्य 2. श्री अजय कुमार, सहायक आचार्य 	<p>प्राणि शास्त्र विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री इकबाल सिंह, सह-आचार्य 2. श्रीमती प्रवीन सैनी, सह-आचार्य 3. डॉ. भावना ग्रोवर, सहायक आचार्य 4. रिक्त <p>रसायन शास्त्र विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्रीमती सुनीता नागपाल, सह-आचार्य 2. श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य 3. श्रीमती रिकु चावला, सह-आचार्य 4. रिक्त 5. रिक्त
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वाणिज्य वर्ग

<p>व्यावसायिक प्रशासन विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रिक्त <p>लेखा एवं सांख्यिकी विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य 2. श्रीमती मोनिका कटारिया, सहायक आचार्य 	<p>आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री भूषेन्द्र महेन्द्रा, सहायक आचार्य 2. श्री कुशाग्र नेगी, सहायक आचार्य
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पुस्तकालयाध्यक्ष – रिक्त	पी.टी.आई – रिक्त
--------------------------	------------------

मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी

<p>लेखाधिकारी ग्रेड I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री राजीव बंसल <p>वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रिक्त <p>प्रयोगशाला सहायक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री जयपाल <p>कार्यालय सहायक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रिक्त <p>वरिष्ठ लिपिक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रिक्त <p>कनिष्ठ लिपिक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री दलीप कुमार 	<p>लैब बियरर</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री बाबू लाल 2. श्री लूणदान 3. रिक्त <p>माली</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रिक्त <p>ग्रुप IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री तुल बहादुर 2. श्री मोमनलाल 3. श्री इन्द्राज 4. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 5. श्री करण बहादुर 6. श्री मोहन लाल (कार्यव्यवस्थार्थ विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

फीस चार्ट 2022-23

बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम भाग प्रथम

क्र.सं.	विभिन्न शुल्क विवरण	मद/विभाग	आयकर देने वालों के लिए		आयकर नहीं देने वालों के लिए		अ.जा./अ.जा.जा. / अ.पि.वर्ग के लिए	
			स्नातक प्रथम वर्ष	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	स्नातक प्रथम वर्ष	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	स्नातक प्रथम वर्ष	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष
1.	प्रवेश शुल्क	राजस्व	2	0	2	0	2	0
2.	ट्यूशन फीस	राजस्व	144	180	42	54	0	0
3.	दुर्घटना बीमा	राज्यबीमा विभाग	20	20	20	20	20	20
4.	महाविद्यालय विकास समिति	विकास समिति	200	200	200	200	200	200
5.	विश्वविद्यालय खेलकूद शुल्क	छात्र निधि	30	30	30	30	30	30
6.	सामान्य फीस	छात्र निधि	625	625	625	625	625	625
7.	कम्प्यूटर फीस एवं इन्टरनेट	छात्र निधि	450	0	450	0	450	0
8.	कॉशन मनी	छात्र निधि	10	0	10	0	10	0
	योग		1481	1055	1379	929	1337	875
9.	प्रयोगशाला फीस (विज्ञान व भूगोल)	राजस्व	100	100	100	100	100	100
10.	महिला प्रकोष्ठ (केवल छात्राओं से)	छात्र निधि	15	15	15	15	15	15
11.	योजना मंच (अर्थशास्त्र विषय के छात्रों से)	छात्र निधि	10	10	10	10	10	10
	योग		125	125	125	125	125	125
	महायोग		1606	1180	1504	1054	1462	1000

संकाय / विषय परिवर्तन शुल्क 200 रुपये ।

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र – 10 रुपये

चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अलग से राशि देय होगी।

नोट— अविवाहित छात्राओं को ट्यूशन फीस में छूट है।

स्ववित्तपूर्ण योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपर्युक्त शुल्क के अलावा सामान्य फीस भी देय होगी ।

नोट — महाविद्यालय से सम्बन्धित अवधान द्रव्य महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वापिस लिया जा सकता है । अन्यथा राशि राजकीय कोष में जमा कर ली जायेगी ।

टिप्पणी — राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क की निम्न दरों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है । सभी शुल्क प्रवेश के समय एक साथ ही लिये जायेंगे । अनु.जा./जन.जाति व अ.पि.वर्ग को नियमानुसार शुल्क में छूट दी जाती है ।

दिव्यांग विद्यार्थी से केवल दुर्घटना बीमा के 100 रुपये फीस ली जावेगी ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
सामान्य शुल्क (छात्र निधि) सत्र 2022–23

क्र.स.	मद / विभाग	आयकर देने वालों के लिए	आयकर नहीं देने वालों के लिए	अ.जो./ज.जो/अ.पि.व. (रु.)
1.	खेलकूद	100	100	100
2.	वाचनालय शुल्क	35	35	35
3.	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	40	40	40
4.	मैडिकल	5	5	5
5.	पुस्तकालय विकास समिति	30	30	30
6.	मुक्त प्रवेश प्रणाली	10	10	10
7.	टैक्सट बुक लाइब्रेरी	10	10	10
8.	मनोरंजन	5	5	5
9.	बहुउद्देशिय	100	100	100
10.	विद्यार्थी सहायता कोष	5	5	5
11.	महाविद्यालय परीक्षा	10	10	10
12.	महाविद्यालय विकास	50	50	50
13.	परिचय पत्र	30	30	30
14.	रोवर रकाउट	15	15	15
15.	छात्र विकास संस्था	100	100	100
16.	साईकिल स्टैण्ड फीस	40	40	40
17.	पर्यावरण सुरक्षा कोष	20	20	20
18.	पोस्ट कार्ड	5	5	5
19.	इन्टरनेट शुल्क	15	15	15
	योग	625	625	625

फीस चार्ट 2022–23
एम.ए./एम.एससी. पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध

क्र.स.	विभिन्न शुल्क विवरण	मद/विभाग	आयकर देने वालों के लिए		आयकर नहीं देने वालों के लिए		अ.जा./अ.जा.जा./ अ.पि.वर्ग के लिए	
			पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध	पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध	पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध
1.	प्रवेश शुल्क	राजस्व	2	0	2	0	2	0
2.	ट्यूशन फीस	राजस्व	240	240	96	96	0	0
3.	दुर्घटना बीमा	राज्य बीमा विभाग	20	20	20	20	20	20
4.	महाविद्यालय विकास समिति	विकास समिति	200	200	200	200	200	200
5.	विश्वविद्यालय खेलकूद शुल्क	छात्र निधि	30	30	30	30	30	30
6.	सामान्य फीस	छात्र निधि	625	625	625	625	625	625
7.	कॉशन मनी (नये छात्रों के लिए)	छात्र निधि	10	0	10	0	10	0
	योग		1127	1115	983	971	887	875
8.	प्रयोगशाला फीस (विज्ञान व भूगोल)	राजस्व	150	150	150	150	150	150
9.	महिला प्रकोष्ठ (केवल छात्राओं से)	छात्र निधि	15	15	15	15	15	15
10.	योजना मंच (अर्थशास्त्र विषय के छात्रों से)	छात्र निधि	10	10	10	10	10	10
11.	कैम्प फीस (स्नातकोत्तर भूगोल छात्रों से)	छात्र निधि	100	100	100	100	100	100
	योग		275	275	275	275	275	275
	महायोग		1402	1390	1258	1246	1162	1150

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की फीस

विज्ञान (Science) (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

1- प्राणीशास्त्र	— 14000/- विद्यार्थी के 60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय
2- रसायन शास्त्र	— 14000/- विद्यार्थी के 60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय
3- वनस्पति शास्त्र	— 14000/- विद्यार्थी के 60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय
4- भौतिक शास्त्र	— 14000/- विद्यार्थी के 60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय
5- गणित	— 8000/- विद्यार्थी के 60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय

वाणिज्य (Commerce) (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

1- ई.ए.एफ.एम.	— 6000/- विद्यार्थी के 50 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय
2- ए.बी.एस.टी.	— 6000/- विद्यार्थी के 50 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय

कला (Arts) (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

1. भूगोल (SFS)	— 7000/- विद्यार्थी के 50 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर 2000 रु. की Incentive (प्रोत्साहन) देय
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

महाविद्यालय की पंजीकृत विकास समिति द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रति वर्ष तय की जाती है। प्रतिभावान छात्रों को विकास समिति द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में फीस में रियायत प्रदान की जाती है।

5. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त छात्रों से पुस्कालय अमानत राशि (वापिसी योग्य) 500/-रु. अलग से लिये जायेंगे।

6. एम.फिल. में प्रवेश प्राप्त छात्रों से पुस्कालय अमानत राशि (वापिसी योग्य) 500/-रु. अलग से लिये जायेंगे।

एस.एफ.एस छात्रों के लिए Govt Head की ट्यूशन फीस 240 व 96, विकास समिति की रु 200 तथा प्रयोगशाला शुल्क 150/- रु. नहीं लिया जायेगा

फीस वापिसी — स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश वापिस लेने पर छात्र द्वारा कुल निर्धारित फीस का 10 प्रतिशत काट कर ही शेष फीस वापिस की जायेगी। संकाय परिवर्तन करने वाले छात्रों से भी जमा फीस की 10 प्रतिशत राशि काटी जायेगी।

नोट — अविवाहित छात्राओं को ट्यूशन फीस में छूट है।

स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत सचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपर्युक्त शुल्क के अलावा सामान्य प्रवेश शुल्क भी देय होगा।

टिप्पणी — राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क की दरों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। सभी शुल्क प्रवेश के समय एक साथ ही लिये जायेंगे। अनु.जा./जन.जाति व अपि.वर्ग को नियमानुसार शुल्क में छूट दी जाती है।

दिव्यांग विद्यार्थी से केवल दुर्घटना बीमा के 100 रुपये फीस ली जावेगी।

समय सारणी

DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR								
TIME TABLE 2022-23(ARTS)								
CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8
BA-I	BA-I GE-I 1-2 AJ GH-I 3-4 NC ENV-I 5-6 A6	BA-I HIST-1 P-I 1-3 CPJ P-II 4-6 CPJ A7	BA-I GEO-1 P-I 1-3 DD P-II 4-6 NC A7	BA-I POL-1 P-I 1-3 NT P-II 4-6 NT A7	BA-I SOC P-I 1-3 MP P-II 4-6 MP A7	BA-I GEO PRACTICAL BATCII- I 1-2 AK BATCII- III 5-6 NC A7		
	BA-I GE-II 3-4 NC GH-II 1-2 NC ENV-II 5-6 A7	BA-I HIST-2 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I GEO-2 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I POL-2 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I HIST-4 P-I 1-3 AR P-II 4-6 AR A6	BA-I GEO PRACTICAL BATCIV- IV 3-4 RS BATCV- V 5 RS, 6 NC BATCVI- VI 1-2 NC		
	BA-I GE-III 5 NC ,6 AJ GH-III 3-4 NC ENV-III 1-2 R- A8	BA-I HLIT-1 P-I 1-3 GR P-II 4-6 GR A6	BA-I HIST-3 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I GEO-3 P-II 1-3 AK P-I 4-6 NC R-	BA-I SANS P-I 1-3 BSC P-II 4-6 BSC R- A8	BA-I GEO PRACTICAL BATCVII- VII 1-2 NC BATCVIII- VIII 3-4 NC BATCVIX- IX 5-6 NC		
	BA-I GE-IV 1-2 NC GH-IV 5-6 NC ENV-IV 3-4 R- A9	BA-I HLIT-2 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I POL-3 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I GEO-4 P-I 1-3 RS P-II 4-6 RS A6	BA-I GE-VI 1-2 PS GH-VI 3-4 NC ENV-VI 5-6 R- A9	BA-I POL-4 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I GEO PRACTICAL BATCX- X 1-2 NC BATCXI- XI 3-4 NC BATCXII- XII 5-6 NC	
	BA-I GE-V 1-2 NC GH-V 5-6 NC ENV-V 3-4 R-	BA-I GEO-6 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I ECO P-I 1-3 KB P-II 4-6 KB A3	BA-I HIST-5 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC A3			BA-I GEO PRACTICAL BATCXIII- XIII 1-2 NC BATCXIV- XIV 3-4 NC	
	BA-I GEO-5 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I ELIT P-I 1-3 CLV P-II 4-6 PJ A3	BA-I POL-5 P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-I/B.Sc.-I MATH P-I 1-3 VS P-II 4-6 R R-S1		BA-I PHILO P-I 1-3 KR P-II 4-6 KR A6	BA-I GE-VII 1 OPT, 2 NC GH-VII 3-4 GK ENV-VII 5-6 R- A6	
	BA-I/B.Sc.-I MATH P-III 1-3 HSK R-S1	B.Sc.-I (BIO) GH- 1-2 NC GE 3-4 AJ ENV 5-6 R-S4				BA-I PUN P-I 1-3 P-II 4-6 R- 68	B.COM.-I GH-I 5-6 GK GH-II 5-6 GK GE-I 3-4 AJ GE-II 3-4 NC ENV. 1-2 R- A6	
		B.Sc.-I (MATH) GH- 3-4 NC GE 5-6 AJ ENV 1-2 R-BOTANY II						

DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR								
TIME TABLE 2022-23 (ARTS)								
CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8
BA-II		BA-II HIST-I P-I 1-3 AR P-II 4-6 AR A5	BA-II PHIL P-I 1-3 KR P-II 4-6 KR A5	BA-II SOC P-I 1-3 MP P-II 4-6 MP A5	BA-II ECO P-I 1-3 KS P-II (B) 4-6 KS P-II (A) STA. MATHE. NC R- 68	BA-II GEO PRACTICAL BATCI- I 1-2 RKT BATCI- II 3-4 RKT BATCI- III 5-6 NC A5		
		BA-II HIST-II P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R- A8	BA-II GEO-I P-I 1-3 AK P-II 4-6 NC R- A8	BA-II HLIT-I P-I 1-3 AP P-II 4-6 AP R- A8	BA-II POL-I P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II GEO-III P-I 1-3 NC P-II 4-6 RKT R-	BA-II GEO PRACTICAL BATCV- IV 1-2 NC BATCV- V 3-4 NC BATCV- VI 5-6 NC	

	BA-II POL-III P-I 1-3 SY P-II 4-6 SY R- 69	BA-II GEO-II P-I 1-3 AKS P-II 4-6 RKT A4	BA-II HLIT-II P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II POL-II P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II GEO-IV P-I 1-3 RS P-II 4-6 NC R-	BA-II GEO PRACTICAL BATCH- VII 1-2 NC BATCH-VIII 3-4 NC BATCH-IX 5-6 NC
	BA-II GEO-V P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II MATH P-III 1-3 R P-II 4-6 HSK R- S1	BA-II HIST-III P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II HIST-V P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II POL-IV P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-II MATH P-I 4-6 VS R-S2
	BA-II PUN P-I 1-3 P-II 4-6 R- 72	BA-II HIST-IV P-I 1-3 AS P-II 4-6 AS A6	BA-II ELIT P-I 1-2 NC P-II 3-6 PS A1			

DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR								
TIME TABLE 2022-23(ARTS)								
CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8
BA-III	BA-III HLT-I P-I 1-3 NB P-II 4-6 NB R- A9	BA-III HIST-I P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-III GEO-I P-I 1-3 AKS P-II 4-6 SSK R- A9	BA-III POL-I P-I 1-3 SY P-II 4-6 SY R- 69	BA-III GEO PRACTICAL BATCH- I 1-3 NC BATCH-II 4 AKS BATCH-III 5-6 AKS A4			
	BA-III HLT-II P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-III HIST-II P-I 1-3 VSD P-II 4-6 VSD R- A9	BA-III GEO-II P-I 1-3 NC P-II 4-6 AK A4	BA-III POL-II P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-III MIL P-I 1-3 P-II 4-6 R-MIL Lab	BA-III GEO PRACTICAL BATCH- IV 1-2 NC BATCH-V 3-4 NC BATCH-VI 5-6 NC		
	BA-III SOC P-I 1-3 MP P-II 4-6 MP A2	BA-III ELIT P-I 1-3 PJ P-II 4-6 AJ A2	BA-III HIST-III P-I 1-3 AS P-II 4-6 AS A2	BSc-III/ BA-III MATH P-III 1-3 HSK P-II 4-6 VS R-S1	BA-III GEO PRACTICAL BATCH- VII 1-2 NC BATCH-VIII 3-4 NC BATCH-IX 5-6 NC			
	BA-III GEO-III P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-		BA-III SAN P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-III PUN P-I 1-3 P-II 4-6 R- 70	BA-III GEO-IV P-I 1-3 NC P-II 4-6 RKT R- 76	BA-III MATH P-I 4-6 R R-S1		
			BA-III/B.Com- III COMP 1-6 AB R-	BA-III/B Com- III COMP. APP. PRACTICAL R-Lab	BA-III POL-III P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-	BA-III MIL PRACTICAL BATCH-I 5-6 R-Mil Lab		
			BA-III PHILO P-I 1-3 KR P-II 4-6 KR R-A12		BA-III ECO P-I 1-3 NS A2 P-II(a) 4-6 KB P-II(b) 4-6 NS A2			

DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR								
TIME TABLE 2022-23(ARTS)								
CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8
M.A.(P) Geo	MA (P) GEOGRAPHY PRACTICAL BATCH II 1-3 NC BATCH II 4-6 NC		MA (P) GEO P-III 4-6 AK , P-IV 1-3 RS R-58	MA (P) GEO P-II 1-5 DD R-58	MA (P) GEO P-IV 2-3 SSK, P-1 4-6 AKS R-58			
	MA (P) GEO P-I 2-3 NC R-	MA (P) GEO P-IV 4-5 NC R-			MA (P) GEO PRACTICAL BATCH I 1-3 NC BATCH I 4-6 DD R-58			
M.A.(F) Geo		MA (F) GEO 1-5 NC P-VIII A R-	MA (F) GEO 1-3 SSK P-V 4-5 NC P-V R-Dept	MA (F) GEO 1-5 RKT P-VI R-Dept	MA (F) GEO 1-3 AKS P-VII D 4-5 NC P-VII D R-Dept	MA (F) GEO PRACTICAL BATCH I 1-3 SSK BATCH II 4-5 SSK BATCH II 6 NC R-Dept		

		MA (F) GEO P-VIII C 1-4 DD P-VIII C 5 NC R- 58			MA (F) GEO P-VII C 1-5 NC R-			
M.A.(P) POL		M.A.(P) POLS P-I 1-5 NC R-	M.A.(P) POLS P-II 1-5 SY A1	M.A.(P) POLS P-III 1-5 NC R-	M.A.(P) POLS P-IV 1-5 NC A1			
M.A.(F) POL		M.A.(F) POLS P-V 1-5 NT R-Dept	M.A.(F) POLS P-VI 1-5 NC R-Dept	M.A.(F) POLS P-VIIA 1-5 NC R- Dept	M.A.(F) POLS P-IX 1-5 NT R-Dept	M.A.(F) POLS P-VIII 1-5 NC R-Dept		
M.A.(P) HIST		M.A.(P) HIST P-II 1-5 AS R-A13	M.A.(P) HIST P-I 1-5 NC R-A13	M.A.(P) HIST P-I 1-5 AR R-A13	M.A.(P) HIST P-III 1-5 CPJ R- 12			
M.A.(F) HIST		M.A.(F) HIST P-V 1-5 VSD R-Dept	M.A.(F) HIST P-VIII 1-5 NC R-Dept	M.A.(F) HIST P-VI 1-5 NC R-Dept	M.A.(F) HIST P-VII 1-5 VSD R-Dept	M.A.(F) HIST P-IX 1-5 CPJ R-Dept		
M.A.(P) HLIT			M.A.(P) HINDI P-I 1-5 GR R-A21	M.A.(P) HINDI P-II 1-5 GK R-A21	M.A.(P) HINDI P-III 1-4 NB R-A21	M.A.(P) HINDI P-IV 1-5 AP R-A21		
M.A.(F) HLIT		M.A.(F) HINDI P-I 1-5 AP R-Dept	M.A.(F) HINDI P-IV 1-3 GK Tulsi	M.A.(F) HINDI P-II 1-4 NB 5 NC R-Dept	M.A.(F) HINDI P-III 1-4 GK 5 NC R-Dept	M.A.(F) HINDI P-V 1-5 GR R-Dept	M.A.(F) HINDI P-IV PREMCHAND 1-5 NC	
			M.A.(F) HINDI P-IV 4-5 NC TULSI R-Dept					

DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR

TIME TABLE 2022-23(ARTS)

CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8
M.A.(P) ELIT			M.A.(P) ELIT P-IV 1-5 PS R-A15	M.A.(P) ELIT P-I 1-3 OPT 4-5 AJ R-A15	M.A.(P) ELIT P-II 1-5 PJ R-A15	M.A.(P) ELIT P-III 1-5 CLV R-A15		
M.A.(F) ELIT		M.A.(F) ELIT P-VIII b 2-3 PJ 4-6 CLV R- A17	M.A.(F) ELIT P-VII 2-3 AJ ,4-6 PJ R- A17	M.A.(F) ELIT P-V 2-6 CLV R- A17	M.A.(F) ELIT P-VI 2-6 OPT R- A17	M.A.(F) ELIT P-IX 2-6 PS R- A17	M.A.(F) ELIT P-VIIIA 2-6 OPT R- A17	
M.A.(P) ECO		M.A.(P) ECO P-IV 2-6 BSR R-C2	M.A.(P) ECO P-II 1-5 KS R- C2	M.A.(P) ECO P-I 1-5 KB R-C2	M.A.(P) ECO P-III 1-5 NS R- C2			
M.A.(F) ECO		M.A.(F) ECO P-V 2-3 KB R- DEPT	M.A.(F) ECO P-VIII-A-V (SURVEY) (SM) 2-6 BSR R-Dept	M.A.(F) ECO P-VI (AIE) 2-6 NS R-Dept	M.A.(F) ECO P-IX B-II (ENV) 2-5 BSR R-Dept	M.A.(F) ECO P-VI (int ECO) 2-6 KS R-Dept	M.A.(F) ECO P-IX -B- II (ENV.) 6th Day NC1	
		M.A.(F) ECO P-V 4-6 KB NC1 R- DEPT	M.A.(F) ECO P-VIII-A-IV (BANKING) 2-6 NC1 R-		M.A.(F) ECO P-IX B-IV (HET) 2-6 NC1 R-			
M.A.(P) SAN			M.A.(P) SANS P-II 1-5 GSB R-C1	M.A.(P) SANS P-IV 1-5 BSC R- C1	M.A.(P) SANS P-III 1-5 GSB R- C1	M.A.(P) SANS P-I 1-5 BSC R- C1		
M.A.(F) SAN	M.A.(F) SANS P-1X 1-5 NC KALIDAS R-	M.A.(F) SANS P-1X 1-5 NC BHAS R-	M.A.(F) SANS P-VIII 1-5 BSC R- Dept	M.A.(F) SANS P-VII 1-5 GSB R- Dept	M.A.(F) SANS P-VI 1-5 NC R-	M.A.(F) SANS P-IX 1-5 NC PRACHIN KAVYA R-	M.A.(F) SANS P-V 1-5 BSC R-	

DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR

TIME TABLE 2022-23 (UG- Science)

CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8

B.Sc.-I (BIO)		BSC (BIO) GH-1,2 GE-3,4 ENV 5,6 RB R- S4	BSC-I -BOT P-III 1-2 RK P-I, II 3-4 RKB, 5-6 RB R-S3	BSC-I -ZOO P-II 1-2 BG P-III 3-4 IS P-I 5-6 PS R-S3	BSC-I -CHEM P-III 1-2 RC P-I 3-4 DS P-II 5-6 NC R-S4	BSC- I PRACTICAL ZOO BOT CHEM Batch-1 1-2 BG 3-4 RB 5-6 NC Batch-2 3-4 NC 5-6 RKB 1-2 DS Batch-3 5-6 NC 1-2 RK 3-4 NC Batch-4 1-2 NC 3-4 RK 5-6 NC		
B.Sc.-I (MATH)	B.Sc.-I (MATH) P-III 1-3 HSK R-S1	BSC (MATH) GH-3,4 GE-5,6 ENV 1-2 RK R- BOTANY II	BSC-I PHY P-I 1-2 AK P-II 3-4 AK, P-III 5-6 PRS R-46	BSC-I MATH P-I 1-3 VS P-II 4-6 R R-S1	BSC-I CHEM 1-4 NC P-II 5-6 SN R-S4	BSC-I PRACTICAL PHY CHEM Batch-1 3-4 NC 5-6 NC Batch-2 5-6 PRS 1-2 NC Batch-3 1-2 NC 3-4 NC Batch-4 3-4 NC 5-6 NC		
B.Sc.-II (Bio)		BSC-II ZOO P-II 1-2 NC P-III 3-4 IS, P-I 5-6 PS R-S3	BSC-II CHEM P-I 1-2 NC, 3-4 NC P-II 5-6 DS R-S4	BSC-II PRACTICAL ZOO BOT CHEM Batch-1 1-2 PS 5-6RK 3-4 RC Batch-2 5-6 NC 3-4RB 1-2 NC Batch-3 3-4 NC 1-2 RKB 5-6 NC	BSC-II BOT P-II,P-III 1-2 RB, 3-4 RKB P-I 5-6 RK R-S3			
B.Sc.-II (Math)		BSC-II MATH P-III 1-3 R P-II 4-6 HSK R-S1	BSC-II CHEM P-I 1-2 SN, P-III 3-4 RC P-II 5-6 NC R-S4	BSC-II PRACTICAL CHEM PHY Batch-1 3-4 NC 5-6 PRS Batch-2 1-2 NC 1-2 AK Batch-3 5-6 NC 3-4 AK	BSC-II PHY P-I 1-2 PRS ,P-II 3-4 AK, P-III 5-6 AK R-S2	BSC-II MATH P-I 4-6 VS R-S2		
B.Sc.-III (Bio)		BSC-III PRACTICAL ZOO BOT CHEM Batch-1 5-6 IS 1-2 RB 3-4 SN Batch-2 1-2 PS 3-4 RK 5-6 NC Batch-3 3-4 NC 5-6 RKB Batch-4 1-2	BSC-III BOT P-I, 1-2 RK, P-II 3-4 RKB P-III 5-6 RB R-S4	BSC-III ZOO P-II 1-2 IS, P-I 3-4 PS, P-III 5-6 NC R-S3	BSC-III CHEM 1-2 NC P-III 3-4 RC 5-6 NC R-S4			
B.Sc.-III (Math)		BSC-III PRACTICAL CHEM PHY Batch-1 1-2 NC 5-6 AK Batch-2 3-4 NC 1-2 PRS Batch-3 5-6 NC 3-4 PRS	BSC-III PHY P-I 1-2 PRS P-II 3-4 PRS P-III 5-6 AK R-46	BSC-III MATH P-III 1-3 HSK P-II 4-6 VS R-S1	BSC-III CHEM 1-4 NC P-I 5-6 DS R-S4	BSC-III MATH P-I 4-6 R R-S1		
DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR								
TIME TABLE 2022-23 (PG-Science)								
CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
Period	1	2	3	4	5	6	7	8
M.Sc. (P) Zoology		M.Sc. (P) Zoology 1-4 NC R-49	M.Sc. (P) Zoology 1-4 BG 5-6 NC R-49	M.Sc. (P) Zoology 1-4 NC 5-6 IS R-49	ZOOLOGY Practical Batch-I 1-6 NC Batch-II 1-6 NC R-49			
M.Sc. (F) Zoology		M.Sc. (F) ZOOLOGY Practical Batch-I 1-2 IS, 3-4 PS, 5-6 BG Batch-II 1-6 NC			M.Sc. (F) 1-2 NC 3-6 BG R-S2	M.Sc. (F) 1-2 NC, 3-4 PS 5-6 NC R-S2	M.Sc. (F) 1-4 NC R-S2	

M.Sc. (P) Chemistry	M.Sc. (P) CHEMISTRY Practical BATCH -I 1-2 NC, 3-4 DS, 5-6 SN BATCH-II 1-6 NC LAB.2			M.Sc. (P) Chemistry P-I 1-2 DS, P-II 3-4 SN 5-6 NC CHEM. ROOM	M.Sc. (P) Chemistry P-III 1-2 RC , 3-6 NC CHEM. ROOM	M.Sc. (P) Chemistry 1-4 NC				
M.Sc. (F) Chemistry	M.Sc. (F) Chemistry 1-4 NC CHEM. ROOM	M.Sc. (F) Chemistry VII b 1-2 DS 3-6 NC CHEM. ROOM	M.Sc. (F) Chemistry VIIla 1-2 SN 3-4 NC, P-V 5-6 RC CHEM. ROOM	M.Sc. (F) CHEMISTRY Practical BATCH-I 1-2 SN , 5-6 RC BATCH-II 1-6 NC LAB. 2						
DR. B.R.AMBEDKAR GOVT. COLLEGE SRIGANGANAGAR										
TIME TABLE 2022-23 (Commerce)										
CLASS/ TIME	9.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	01.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00		
Period	1	2	3	4	5	6	7	8		
B.Com I	B.COM- I A BUS.AD. P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-A11	B.COM- I A ABST. P-II 1-3 PG R-A11	B.COM I A EAFM. P-I 1-3 BM P-II 4-6 KN R-A11	B.COM- I A ABST. P-I 1-3 MK R-A10	B.COM I 1-2 MK(NON COM) 3-4 BM (NON COM) 5-6 NC (NON COM) R-A11	B.COM I A GH-I 5-6 NC GE-I 3-4 NC ENV 1-2 RB R-				
	B.COM- I B BUS.AD. P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-A11	B.COM- I B ABST. P-II 4-6 PG R-A11	B.COM I B EAFM. 1-3 KN 4-6 BM R-A10	B.COM- I B ABST. P-I 4-6 MK R-A10		B.Com.-I B 5-6 GE NC 1-2 GH NC 3-4 Env. RKB R-				
B.Com II	B.COM- II A ABST. P-I 1-3 MK R- A10	B.COM- II A EAFM. P-I 1-3 BM P-II 4-6 KN R- A10	B.COM- II A ABST. P-II 1-3 PG R-C3	B.COM- II A BUS.AD. P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-A11						
	B.COM-II B ABST. P-I 4-6 MK R- A10	B.COM- II B EAFM. P-II 1-3 KN P-I 4-6 BM R-C3	B.COM- II B ABST. P-II 4-6 PG R-C3	B.COM- II B BUS.AD. P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-A11						
B.Com III	B.COM- III A ABST. P-II 1-3 PG R-C3	B.COM- III BUS.AD. P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-C4	B.COM- III A ABST. P-I 1-3 MK R-C4	B.COM -III A EAFM. P-I 1-3 BM P-II 4-6 KN R-C3						
	B.COM-III B ABST. P-II 4-6 PG R-C3	B.COM- III BUS.AD. P-I 1-3 NC P-II 4-6 NC R-C4	B.COM-III B ABST. P-I 4-6 MK R-C4	B.COM -III B EAFM. P-II 1-3 KN P-I 4-6 BM R-C4						

SUMMARY OF UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009

- PREAMBLE:** In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court dated 8.05.2009 and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging.
- OBJECTIVE:** To eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.
- WHAT CONSTITUTES RAGGING:** Ragging constitutes one or more of any of the following acts: a) Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student. b) Indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student.

c) Asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student. d) Any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher. e) Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students. f) Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students g) Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person; h) Any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student. i) Any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

4. MEASURES FOR PROHIBITION OF RAGGING: There are a number of such measures at institution level, University Level, District level etc. Some of them that are important for students to know are as follows: No institution shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside. All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audiovisual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force. The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the AntiRagging Committees and Anti-Ragging Squads, District and SubDivisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus. The application for admission, enrolment or registration must be accompanied by an Anti Ragging affidavit signed by a student in a prescribed format and another Anti Ragging Affidavit signed by a Parent/Guardian. (Both these Affidavits can be downloaded from the Web)

Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it. On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions. The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and

the status of the action taken thereon. The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures. Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes. The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.

5. ADMINISTRATIVE ACTION IN THE EVENT OF RAGGING: The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed here in under: The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad. The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely; a) Suspension from attending classes and academic privileges. b) Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits. c) Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process. d) Withholding results. e) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc. f) Suspension/ expulsion from the hostel. g) Cancellation of admission. h) Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters. i) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period. Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment. An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie, (i) in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University; (ii) in case of an order of a University, to its Chancellor. (iii) in case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be. Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faulty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faulty or staff. Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

In case of queries, please visit Dr. Bhim Rao Ambedkar Govt. College Sri Ganganagar website or contact:

1	प्रवेश प्रभारी	SH. IQBAL SINGH	Associate Prof.	9414276417
2	नोडल अधिकारी (स्नातकोत्तर)	SMT. SUNITA NAGPAL	Associate Prof.	9414503120
3	नोडल अधिकारी (स्नातक)	DR. OM PRAKASH TIWARI	Associate Prof.	9460855760
4	संयोजक (विज्ञान संकाय)	SMT. PARVEEN SAINI	Associate Prof.	9660303000
5	संयोजक (कला संकाय)	DR. POONAM	Associate Prof.	9660074076
6	संयोजक (वाणिज्य संकाय)	SH. PANKAJ GROVER	Assistant Prof.	9214349407

Important Mobile Numbers

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 1. Sh. Balwant Singh Ratan, Principal | - | 9414482081 |
| 2. Sh. Iqbal Singh | - | 9414276417 |
| 3. Dr. Poonam | - | 9660074076 |
| 4. Sh. Patel Ram Suthar | - | 9414536173 |
| 5. Dr. Rajender Karwasra | - | 9414500898 |

संपादन

डॉ. चारूलता वर्मा
 डॉ. नवज्योत भनोत
 श्री पंकज ग्रोवर
 श्री राजेन्द्र

प्रकाशन प्राधिकार
 प्राचार्य
 डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर